E Content for the student of Patliputra University
Subject - Political Science
Class B.A.(Hons.) Part-I Paper-I
Topic - State and its Element

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama

"राज्य", राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण एवं मौलिक विषय रहा है। पुराने-से पुराने चिंतकों, दार्शनिकों, महर्षियों एवं विचारकों ने किसी न किसी रूप में राज्य के विषय पर अपना विचार अवश्य प्रकट किया है। मनु, वेदव्यास, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तू से लेकर मार्क्स, गाँधी आदि सबों के लेखन में "राज्य" पर उनके विचार देखे जा सकते हैं। विभिन्न धर्मग्रंथों में भी कई आख्यानों में राज्य विषयक जानकारियाँ मिलती हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान एक विषय (अनुशासन) के रूप में स्थापित होने के पूर्व ही राज्य पर दृष्टिकोण प्रकट किये जाते रहे हैं।

राज्य की परिभाषा और अर्थ

प्राचीन लेखकों में राज्य की औपचारिक परिभाषा का अभाव मिलता है, किन्तु उन दिनों भी लोगों के मन और समझ में राज्य का अर्थ स्पष्ट था। राज्य की मौलिक पहचानों से वे वाकिफ थे। उन्हें ज्ञात था कि किसी राज्य की सीमा क्या है? वे उसकी चौहद्दी भी जानते थे तथा राज्यों के बीच संबंधों को लेकर वे औपचारिक कानून और भावना से बँधे हुए थे। उन दिनों राज्य की पहचान थी — खास भू-भाग में रहने वाले निवासियों तथा राजा के अधीन संचालित शासन व्यवस्था से। राज्य और राजाओं

के संघर्ष का परिणाम होता था कि विजित राज्य का विजयी राज्य में विलय हो जाता था। विजयी राज्य के राजा विजित राज्य के भी हो जाते थे तथा वहीं का कानून भी लागू हो जाता था। संप्रभुता का तत्व औपचारिक से व्याख्या में नहीं आया था। बोदाँ 16वीं शताब्दी में प्रथम चिंतक था जिसने संप्रभुता की अवधारणा प्रस्तुत की। पूर्व के विचारों में राजा के साथ ही संप्रभुता की अवधारणा निहित थी।

पिछली शताब्दी के पाश्चात्य लेखकों ने राज्य को संप्रभुता के मानदंड पर परिभाषित करने का प्रयास किया। गार्नर ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि किसी निश्चित भू-भाग में रहने वाली जनसंख्या अगर किसी व्यवस्थित शासन व्यवस्था में रहती हो और शासन व्यवस्था के माध्यम से उसे संप्रभुता प्राप्त हो तो उस ईकाई को राज्य कहा जाता है। ऑस्टीन ने भी अपने संप्रभुता संबंधी विचार को प्रकट करते हुए राज्य को ऐसे ही इकाई के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। गार्नर ने राज्य का अर्थ समझाते हुए यह स्पष्ट कहा है कि जनसंख्या, भू-भाग यहाँ तक कि सरकार के बावजूद किसी इकाई को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती, जबतक कि उसे संप्रभुता प्राप्त न हो अर्थात वह आंतरिक एवं वाह्य नियंत्रण से मुक्त न हो।

राज्य के तत्व

भारत के प्राचीन चिंतकों ने राज्य के तत्वों पर अपना विचार व्यक्त किया है। इनमें कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में इसकी व्याख्या विशेष स्पष्टता के साथ की है। उनके अनुसार राज्य के सात तत्व

है – (i) स्वामी अर्थात राजा, (ii) जनपद
(iii) अमात्य (iv) कोष, (v) मित्र
(vi) दुर्ग (vii) दंड.

इनमें स्वामी या राजा - संप्रभुता का, जनपद - भूभाग एवं जनसंख्या का, अमात्य सरकार की द्योतक है। इसके अतिरिक्त राज्य के तत्व की व्यवहारिकता की दृष्टि से इनका महत्व कम नहीं है — कोष अर्थात अर्थव्यवस्था, मित्र अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में मित्रों की आवश्यकता। दुर्ग अर्थात सुरक्षा प्रबंध तथा दंड अर्थात कानून पालन की व्यवस्था। इन तत्वों के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है।

वर्तमान समय में पाश्चात्य लेखकों ने गार्नर के नेतृत्व में राज्य के चार तत्वों की ही बात करते हैं — जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार और संप्रभुता.

(1) जनसंख्या – जनसंख्या राज्य का मानवीय तत्व है राज्य के लिए जनसंख्या आवश्यक है। जनसंख्या कितनी हो इस पर कुछ लोगों ने विचार प्रकट किया है। वर्तमान समय में चीन और भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्य भी हैं तो वेटिकन सिटी को भी राज्य का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या किसी राज्य की समस्या है या देन यह राज्य का भौतिक मानक है।

(2) भू-भाग – भू-भाग राज्य का भौगोलिक तत्व है। राज्य की पहचान किसी सीमा क्षेत्र में बँधे हुए भू-भाग से ही होती है। जनसंख्या की तरह ही बड़े क्षेत्र तथा छोटे क्षेत्र के राज्य हो सकते हैं।

3. सरकार – सरकार राज्य को व्यावहारिक अनुशासित रूप देता है। सरकार योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन करती है लोगों का विकास इसी पर निर्भर करता है। सरकार के अभाव में जनसंख्या अनियंत्रित हो सकती है तथा अंततः राज्य की विनाश उत्पन्न हो सकती है।

4. संप्रभुता – राज्य के लिए संप्रभुता सबसे आवश्यक तत्व है। यह राज्य की स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके अभाव में जनसंख्या, भू-भाग तथा सरकार जैसे तत्वों के बावजूद राज्य का अस्तित्व कायम नहीं हो सकता। क्योंकि उसका अर्थ होगा राज्य की स्वतंत्रता का अभाव। उदाहरणार्थ 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत में जनसंख्या थी, इसका भू-भाग था, सरकार भी थी किंतु संप्रभुता पर अधिकार इंगलैंड का था इसीलिए तकनीकि रूप में भारत एक राज्य नहीं था।

राज्य और उसके तत्वों के संदर्भ में कुछ अन्य बातें भी ध्यान देने योग्य हैं–

(i) यासिर अराफात का फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं था, वह इजरायल के नियंत्रण में था, फिर भी फिलिस्तीन को राज्य और अराफात को शासक कुछ राज्य मानते थे।

(ii) चीन की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय संस्था U.N.O के द्वारा कुछ दिनों तक ताइवान के नाम से जाना जाता था। 1971 तक ताइवान ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, चीन नहीं। फिर चीन स्थायी सदस्य बना और ताइवान की स्थिति सामान्य सदस्य की हो गई।

पारम्परिक राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु होने के कारण राज्य और उसके तत्व आज भी महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में जाने जाते हैं।